

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2019/ 231

दिनांक 20/02/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 06.02.2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० धनश्याम सिंह	श्री प्रेम सिंह	01-12-1963	विभागाध्यक्ष, बी०एड०
2	अतुल कुमार संतोषी	श्री हेमन्त कुमार संतोषी	01-07-1978	प्रवक्ता, बी०एड०
3	नितिन कुमार	श्री राधेश्याम	03-07-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
4	रिन्कू कुमार	श्री कालीचरण	01-03-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
5	सतीश बाबू	श्री सोमपाल	09-07-1985	प्रवक्ता, बी०एड०
6	शोभित कुमार	श्री भूषण कुमार	05-04-1990	प्रवक्ता, बी०एड०
7	निरेश बाबू	श्री कुंवर सैन	31-07-1982	प्रवक्ता, बी०एड०
8	वीरपाल सिंह	श्री मुन्शीलाल	20-02-1989	प्रवक्ता, बी०एड०
9	कुमारी शालू	श्री दिनेश कुमार	05-06-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
10	धम्मन सिंह	श्री घासीराम	15-07-1980	प्रवक्ता, बी०एड०
11	मनीष कुमार	श्री राजपाल सिंह	09-07-1989	प्रवक्ता, बी०एड०
12	विजय कुमार	श्री चन्द्रपाल	15-10-1991	प्रवक्ता, बी०एड०
13	जिनेश कुमार	श्री सुरेश बाबु	30-06-1985	प्रवक्ता, बी०एड०
14	राजेश कुमार सिंह	श्री त्रिशूल सिंह	16-08-1978	प्रवक्ता, बी०एड०
15	अवनीत कुमार	श्री राममजान	10-07-1993	प्रवक्ता, बी०एड०
16	अतुल कुमार राय	श्री शत्रुघ्न राय	15-07-1991	प्रवक्ता, बी०एड०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उ अ न क अ अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 16 तक चयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्ति प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्र कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीयव्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

महोदय,
20/02/2019
प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)